

**भारत सरकार**  
**नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय**  
**लोक सभा**  
**अतारांकित प्रश्न सं. 2805**  
**बुधवार, दिनांक 06 अगस्त, 2025 को उत्तर दिए जाने हेतु**

**बिहार में सौर ऊर्जा योजनाएँ**

**2805. श्री अजय कुमार मंडल:** क्या नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार द्वारा बिहार सहित देश के विभिन्न राज्यों में प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (पीएम-कुसुम), सोलर रूफटॉप कार्यक्रम, प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना (पीएम-एसजीएमबीवाई) जैसी सौर ऊर्जा योजनाएँ कार्यान्वित की जा रही हैं;
- (ख) यदि हाँ, तो गत तीन वर्षों के दौरान बिहार में स्थापित सौर ऊर्जा संयंत्रों की संख्या कितनी है, उनकी क्षमता और उक्त संयंत्रों से लाभान्वित होने वाले लाभार्थियों की संख्या कितनी है;
- (ग) क्या सरकार का लक्ष्य आगामी वर्षों में बिहार में सौर ऊर्जा क्षमता बढ़ाना है और यदि हाँ, तो उक्त लक्ष्य के अंतर्गत प्रस्तावित नवीनतम कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है; और
- (घ) क्या सरकार बिहार में ग्रामीण क्षेत्रों, कृषि पंपों, शैक्षणिक संस्थानों और सरकारी भवनों में सौर पैनल लगाने को प्रोत्साहित करने के लिए कोई विशेष राजसहायता या वित्तीय सहायता प्रदान करती है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**उत्तर**  
**नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं विद्युत राज्य मंत्री**  
**(श्री श्रीपाद येसो नाईक)**

- (क) एवं (ख): नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय बिहार राज्य सहित देश भर में विभिन्न नवीकरणीय ऊर्जा योजनाएँ जैसे प्रधान मंत्री-किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (पीएम-कुसुम), प्रधान मंत्री-सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना (पीएम-एसजीएमबीवाई) आदि कार्यान्वित कर रहा है।

पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष यानी 2022-23 से 2025-26 (28.7.2025 तक) के दौरान, रूफटॉप सोलर कार्यक्रम चरण-II और पीएमएसजी: एमबीवाई के अंतर्गत बिहार राज्य में कुल 43.05 मेगावाट क्षमता के कुल 11,655 सौर रूफटॉप विद्युत संयंत्र स्थापित किए गए हैं, जिनसे लगभग 11,722 परिवार लाभान्वित हुए हैं।

अभी तक, पीएम-कुसुम योजना के अंतर्गत बिहार राज्य में कोई प्रगति नहीं होने की सूचना है।

- (ग) एवं (घ): सरकार, बिहार राज्य सहित देश में सौर ऊर्जा क्षमता को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों का क्रियान्वयन कर रही है। बिहार राज्य और उसके ग्रामीण क्षेत्रों सहित देश भर में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए उपलब्ध वित्तीय सहायता सहित नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की प्रमुख चालू योजनाओं/कार्यक्रमों की सूची **अनुलग्नक** में दी गई है।

## अनुलग्नक

‘बिहार में सौर ऊर्जा योजनाएँ’ के संबंध में पूछे गए दिनांक 06.08.2025 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 2805 के भाग (ग) एवं (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

चल रही प्रमुख नवीकरणीय ऊर्जा योजनाओं/कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए केन्द्रीय वित्तीय सहायता (सीएफए) के रूप में प्रदान किए जा रहे प्रोत्साहनों का विवरण

| योजना/कार्यक्रम  | योजना के अनुसार वर्तमान में उपलब्ध प्रोत्साहन   |   |                              |   |
|--|---|---|------------------------------|---|
| क) पीएम सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना  | 1. प्रधानमंत्री सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत, आवासीय क्षेत्रों में रूफटॉप सौर की स्थापना के लिए सीएफए निम्नानुसार है: |   |                              |   |
|  | क्र.सं.   | आवासीय खंड का प्रकार  | सीएफए                        | सीएफए (विशेष श्रेणी के राज्य/संघ राज्य क्षेत्र) |
|  | 1   | आवासीय क्षेत्र (रूफटॉप सौर (आरटीएस) क्षमता का प्रथम 2 किलोवाट पीक या उसका भाग)  | 30,000 रु. प्रति किलोवाट पीक | 33,000 रु. प्रति किलोवाट पीक                    |
|  | 2   | आवासीय क्षेत्र (1 किलोवाट पीक की अतिरिक्त आरटीएस क्षमता के साथ या उसके भाग सहित)  | 18,000 रु. प्रति किलोवाट पीक | 19,800 रु. प्रति किलोवाट पीक                    |
|  | 3   | आवासीय क्षेत्र (3 किलोवाट पीक से अधिक अतिरिक्त आरटीएस क्षमता)   | कोई अतिरिक्त सीएफए नहीं      | कोई अतिरिक्त सीएफए नहीं                         |
|  | 4   | समूह आवासीय सोसायटी/आवासीय कल्याण समिति (जीएचएस/आरडब्ल्यूए) आदि के लिए 500 किलोवाट पीक तक इलेक्ट्रिक व्हिकल चार्जिंग सहित साझा सुविधाओं के लिए (3 किलोवाट पीक प्रति घर की दर से)। | 18,000 रु. प्रति किलोवाट पीक | 19,800 रु. प्रति किलोवाट पीक                    |
| 2. प्रधानमंत्री सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना में डिस्कॉमों को प्रोत्साहन देने का प्रावधान शामिल है ताकि उन्हें अनुकूल विनियामक और प्रशासनिक तंत्र बनाने, कार्यान्वयन के लिए लक्ष्य हासिल करने जैसी गतिविधियों में प्रेरित और मदद की जा सके। प्रोत्साहन, स्थापित |   |   |                              |   |

| योजना/कार्यक्रम  | योजना के अनुसार वर्तमान में उपलब्ध प्रोत्साहन  |
|--|--|
|  | <p>आधार क्षमता के 10% से अधिक और 15% से कम की स्थापित बेस क्षमता प्राप्त करने के लिए लागू बेंचमार्क लागत का 5% है; स्थापित आधार क्षमता के 15% से अधिक क्षमता प्राप्त करने के लिए लागू बेंचमार्क लागत का 10% है।</p> <p>3. आवासीय रूफटॉप सौर प्रणाली (आरटीएस) की स्थापना को बढ़ावा देने और स्थानीय स्तर पर प्रयास करने के लिए, प्रधानमंत्री सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना में शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) और पंचायत राज संस्थाओं (पीआरआई) को यूएलबी/पीआरआई के अधिकार क्षेत्र में आवासीय खंड में आरटीएस की प्रत्येक स्थापना के लिए 1000 रुपये की दर से प्रोत्साहन देने का प्रावधान भी शामिल है, जिसके लिए उपभोक्ता को सीएफए हस्तांतरित कर दिया गया है।</p> <p>4. इसके अतिरिक्त, देश के प्रत्येक जिले में एक आदर्श सौर गांव विकसित करने के लिए 800 करोड़ रुपये की निधि का प्रावधान किया गया है, जिसमें पीएमएसजी: एमबीवाई योजना के अंतर्गत प्रत्येक आदर्श सौर गांव को 1 करोड़ रुपये की सहायता दी जाएगी।</p> <p>5. रूफटॉप सोलर ऊर्जा की स्थापना से सरकारी भवनों में परिपूर्णता PMSG: MBY के घटकों में से एक है। इस संबंध में विस्तृत दिशानिर्देश जारी किए गए हैं, जिनमें विभिन्न कार्यान्वयन मॉडल प्रदान किए गए हैं और केंद्रीय मंत्रालयों और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को अपने भवनों पर रूफटॉप सोलर ऊर्जा लगाने में सहायता के लिए नवीकरणीय ऊर्जा प्रौद्योगिकियों के उपयोग में अनुभवी केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (CPSE) को आवंटित किया गया है। हालाँकि, योजना के इस घटक के अंतर्गत कोई CFA उपलब्ध नहीं है।</p> |
| <p>ख) सरकारी उत्पादकों द्वारा ग्रिड कनेक्टेड सौर फोटोवोल्टेक (पीवी) विद्युत परियोजनाओं के लिए केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम (सीपीएसयू) योजना चरण-II (सरकारी उत्पादक योजना)।</p> | <p>प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के माध्यम से चुने गए सीपीएसयू/सरकारी, संस्थाओं को 55 लाख रु. प्रति मेगावाट तक की व्यवहार्यता अंतराल वित्तपोषण (वीजीएफ) सहायता।</p>  |
| <p>ग) पीएलआई योजना 'राष्ट्रीय उच्च दक्षता सौर पीवी मॉड्यूल कार्यक्रम'</p>  | <p>लाभार्थी, सौर पीवी मॉड्यूलों के उत्पादन और बिक्री पर उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहन (पीएलआई) के लिए पात्र हैं। वितरण के लिए पात्र पीएलआई की मात्रा निर्भर करती है:</p> <p>(i) सौर पीवी मॉड्यूलों की बिक्री की मात्रा;</p>  |

| योजना/कार्यक्रम     | योजना के अनुसार वर्तमान में उपलब्ध प्रोत्साहन   |
|---------------------|---|
|                     | <p>(ii) बेचे गए सौर पीवी मॉड्यूलों के प्रदर्शन मानदंड (दक्षता और अधिकतम विद्युत का ताप गुणांक (टेंपरेचर कोएफिशियेंट)); और</p> <p>(iii) बेचे गए मॉड्यूलों में स्थानीय मूल्य वृद्धि की प्रतिशतता।</p>   |
| घ) सौर पार्क योजना  | <p>(क) विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार करने के लिए 25 लाख रु. प्रति सौर पार्क तक।</p> <p>(ख) सौर पार्कों की साझा अवसंरचना विकास के लिए प्रति मेगावाट 20 लाख रु. या परियोजना लागत का 30 प्रतिशत, इनमें से जो भी कम हो।</p>   |
| ड) पीएम-कुसुम योजना | <p><b>घटक-क:</b> 10,000 मेगावाट के विकेन्द्रीकृत ग्राउंड/स्टिल्ट माउंटेड सौर विद्युत संयंत्रों की स्थापना।</p> <p>उपलब्ध लाभ: इस योजना के तहत सौर विद्युत की खरीद के लिए डिस्कॉमों को 40 पैसे प्रति किलोवाट घंटे की दर से या 6.60 लाख रु. प्रति मेगावाट प्रति वर्ष, जो भी कम हो, की दर से खरीद आधारित प्रोत्साहन (पीबीआई)। यह पीबीआई संयंत्र की वाणिज्यिक प्रचालन तिथि से पांच वर्षों की अवधि के लिए डिस्कॉमों को दिया जाता है। इस प्रकार, डिस्कॉमों को देय कुल पीबीआई प्रति मेगावाट 33 लाख रु. है।</p> <p><b>घटक-ख:</b> 14 लाख स्टैंड-अलोन सौर पंपों की स्थापना।</p> <p>उपलब्ध लाभ: स्टैंड-अलोन सौर कृषि पंप की बेंचमार्क लागत या निविदा लागत, जो भी कम हो, की 30% केन्द्रीय वित्तीय सहायता (सीएफए) प्रदान की जाती है। तथापि, पूर्वोत्तर राज्यों, सिक्किम, जम्मू एवं कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, लक्षद्वीप एवं अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह में स्टैंड-अलोन सौर पंप की बेंचमार्क लागत या निविदा लागत, जो भी कम हो, के लिए 50% की केन्द्रीय वित्तीय सहायता (सीएफए) प्रदान की जाती है। घटक-ख को राज्य की 30% हिस्सेदारी के बिना भी लागू किया जा सकता है। केन्द्रीय वित्तीय सहायता 30% बनी रहेगी और शेष 70% किसान द्वारा वहन किया जाएगा।</p> <p><b>घटक-ग:</b> फीडर स्तरीय सौरीकरण के जरिए 35 लाख ग्रिड-कनेक्टेड कृषि पंपों का सौरीकरण।</p> <p>उपलब्ध लाभ: (क) व्यक्तिगत पंप का सौरीकरण (आईपीएस): सौर पीवी घटक की बेंचमार्क लागत या निविदा लागत, जो भी कम हो, की 30% केन्द्रीय वित्तीय सहायता (सीएफए) प्रदान की जाएगी। तथापि, पूर्वोत्तर राज्यों, सिक्किम, जम्मू एवं कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, लक्षद्वीप और अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह में सौर पीवी कंपोनेंट की बेंचमार्क लागत या निविदा लागत, जो भी कम हो, की 50% केन्द्रीय वित्तीय सहायता (सीएफए) प्रदान की जाती है। घटक-ग (आईपीएस) को राज्य की 30% हिस्सेदारी के बिना भी लागू किया जा सकता है। केन्द्रीय वित्तीय सहायता 30% बनी रहेगी और शेष 70% किसान द्वारा वहन किया जाएगा।</p> |

| योजना/कार्यक्रम  | योजना के अनुसार वर्तमान में उपलब्ध प्रोत्साहन   |     |                     |   |  |  |                        |  |   |
|--|---|-----|---------------------|---|--|--|------------------------|--|---|
|  | (ख) फीडर स्तरीय सौरीकरण (एफएलएस): एमएनआरई से उपलब्ध 1.05 करोड़ रु. प्रति मेगावाट की केन्द्रीय वित्तीय सहायता के साथ राज्य सरकार द्वारा कृषि फीडरों का सौरीकरण कैपेक्स अथवा रेस्को मोड में किया जा सकता है। तथापि, पूर्वोत्तर राज्यों, सिक्किम, जम्मू एवं कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, लक्षद्वीप एवं अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह में प्रति मेगावाट 1.75 करोड़ रु. की केन्द्रीय वित्तीय सहायता (सीएफए) दी जाती है।  |     |                     |   |  |  |                        |  |   |
| च) ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर योजना (अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए इंटर-स्टेट ट्रांसमिशन प्रणाली के विकास के लिए)  | (क) जीईसी चरण-I (इंट्रा-स्टेट): डीपीआर लागत अथवा आवंटित लागत, इनमें से जो भी कम हो, की 40% केन्द्रीय वित्तीय सहायता।<br>(ख) जीईसी चरण-II (इंट्रा-स्टेट): डीपीआर लागत अथवा आवंटित लागत, इनमें से जो भी कम हो, की 33% केन्द्रीय वित्तीय सहायता।<br>(ग) जीईसी चरण-II (इंटर-स्टेट): डीपीआर लागत अथवा आवंटित लागत, इनमें से जो भी कम हो, की 40% केन्द्रीय वित्तीय सहायता।  |     |                     |   |  |  |                        |  |   |
| छ) प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महा अभियान (पीएम जनमन) और धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान (डीए जेजीयूए) के अंतर्गत नई सौर विद्युत योजना (जनजाति और पीवीटीजी बस्तियों/गांवों के लिए) | <table border="1"> <thead> <tr> <th>घटक</th><th>केंद्रीय भाग (100%)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1 लाख जनजातीय और पीवीटीजी घरों के लिए 0.3 किलोवाट सौर ऑफग्रीड प्रणाली का प्रावधान</td><td>50,000 रु. प्रति परिवार या वास्तविक लागत के अनुसार</td></tr> <tr> <td>सौर स्ट्रीट लाइटिंग और पीवीटीजी क्षेत्रों के 1500 एमपीसी में प्रकाश व्यवस्था का प्रावधान (केवल पीएम जनमन घटक के अंतर्गत)</td><td>प्रति एमपीसी 1 लाख रु.</td></tr> <tr> <td>ऑफ-ग्रीड सौर प्रणालियों के माध्यम से 2000 सार्वजनिक संस्थानों का सौरीकरण (केवल डीए जेजीयूए घटक के अंतर्गत)</td><td>20 किलोवाट प्रति सार्वजनिक संस्थान की अधिकतम सौर पीवी क्षमता सहित 1 लाख रु. प्रति किलोवाट</td></tr> </tbody> </table> | घटक | केंद्रीय भाग (100%) | 1 लाख जनजातीय और पीवीटीजी घरों के लिए 0.3 किलोवाट सौर ऑफग्रीड प्रणाली का प्रावधान | 50,000 रु. प्रति परिवार या वास्तविक लागत के अनुसार | सौर स्ट्रीट लाइटिंग और पीवीटीजी क्षेत्रों के 1500 एमपीसी में प्रकाश व्यवस्था का प्रावधान (केवल पीएम जनमन घटक के अंतर्गत) | प्रति एमपीसी 1 लाख रु. | ऑफ-ग्रीड सौर प्रणालियों के माध्यम से 2000 सार्वजनिक संस्थानों का सौरीकरण (केवल डीए जेजीयूए घटक के अंतर्गत) | 20 किलोवाट प्रति सार्वजनिक संस्थान की अधिकतम सौर पीवी क्षमता सहित 1 लाख रु. प्रति किलोवाट |
| घटक  | केंद्रीय भाग (100%)   |     |                     |   |  |  |                        |  |   |
| 1 लाख जनजातीय और पीवीटीजी घरों के लिए 0.3 किलोवाट सौर ऑफग्रीड प्रणाली का प्रावधान  | 50,000 रु. प्रति परिवार या वास्तविक लागत के अनुसार  |     |                     |   |  |  |                        |  |   |
| सौर स्ट्रीट लाइटिंग और पीवीटीजी क्षेत्रों के 1500 एमपीसी में प्रकाश व्यवस्था का प्रावधान (केवल पीएम जनमन घटक के अंतर्गत)   | प्रति एमपीसी 1 लाख रु.  |     |                     |   |  |  |                        |  |   |
| ऑफ-ग्रीड सौर प्रणालियों के माध्यम से 2000 सार्वजनिक संस्थानों का सौरीकरण (केवल डीए जेजीयूए घटक के अंतर्गत)   | 20 किलोवाट प्रति सार्वजनिक संस्थान की अधिकतम सौर पीवी क्षमता सहित 1 लाख रु. प्रति किलोवाट   |     |                     |   |  |  |                        |  |   |

\*\*\*\*\*